

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-1241 / 2015संस्थित दिनांक-14.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

केशवसिंह पुत्र रामसिया परिहार उम्र 29 साल

निवासी ग्राम महायर थाना रौन जला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 31.03.2018 को घोषित}

1. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 304 ए के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.10.15 को रात्रि 3:30 बजे एम0पी0 आयरन मोदी फैक्ट्री के सामने नेशनल हाईवे क्र0 92 के किनारे मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावले व उपेक्षा से वाहन डंपर क्र0 एम0पी0 30 एच-0475 को चलाकर लक्ष्मण कुशवाह में टक्कर मार कर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती है।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि महेशसिंह पुत्र स्व0 रामकिशन द्वारा दिनांक 20.10.15 को थाना मालनपुर में इस आशय की सूचना दी कि उक्त दिनांक 20.10.15 को उसका भाई लक्ष्मण जो लोडिंग एम0पी0-30 जी0ए0-3938 पर चालक था। रात को सब्जी भरने के लिए ग्वालियर गया और सब्जी भरकर गोहद ले जा रहा था तो सुबह करीब 6 बजे उसे सूचना मिली कि लक्ष्मण की गाडी से एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी है। जब फरियादी ने मोदी फैक्ट्री गेट के सामने जाकर देखा तो सड़क पर उसका भाई मृत अवस्था में पड़ा था। उक्त सूचना से मार्ग कायम किया गया। शव परीक्षण कराया गया, नक्शा मौका बनाया गया, नुकसानी पंचनामा बनाया गया, मार्ग जांच कथन लिए गए, तत्पश्चात् अप0क्र0 175/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती, गिरफ्तारी, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होने तथा क्लेम प्राप्त करने के लिए झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या दिनांक 20.10.15 को रात्रि 3:30 बजे मृतक लक्ष्मण कुशवाह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु कारित हुई ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं एम0पी0 आयरन मोदी फैक्ट्री के सामने नेशनल हाईवे क्र0 92 के किनारे मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावले व उपेक्षा से वाहन डंफर क्र0 एम0पी0 30 एच-0475 को चलाकर लक्ष्मण कुशवाह में टक्कर मार कर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 1, महेश अ0सा0 2, जोनी कुशवाह अ0सा0 3, रामकरन शर्मा अ0सा0 4, रमेशसिंह अ0सा0 5, गजेन्द्रसिंह अ0सा0 6, रामू अ0सा0 7, सुभाष पाण्डेय अ0सा0 8 व अजयपाल अ0सा0 9 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष //

6. फरियादी महेश कुशवाह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दि0 20.10.15 को सुबह 5 बजे की बात है। वह अपने घर पर था। मौहल्ले वालों ने खबर दी कि उसके भाई का मोदी फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो गया है तो वह मौके पर गया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अकाल मृत्यु की सूचना का मर्ग प्र0पी0 2 लेख किया जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। मृत्यु जांच का नोटिस प्र0पी0 3 पर ए से ए, नक्शा पंचायतनामा लाश प्र0पी0 4 पर ए से ए तथा पोस्ट मार्टम पश्चात अपने भाई लक्ष्मण का शव प्राप्त किए जाने की रसीद प्र0पी0 5 बनाए जाने का कथन कर उन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी मुख्य परीक्षण में बताता है कि उसे लोगों ने बताया था कि उसका भाई लक्ष्मण लोडिंग गाड़ी खड़ी करके रोड किनारे खड़ा था इतने में एक डंफर एम0पी0 30 एच-0475 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भाई को टक्कर मार दी जिससे शरीर में बहुत सी चोटें आईं। साक्षी इस प्रकार से अपने भाई लक्ष्मण की दुर्घटना में दिनांक 20.10.15 को सुबह करीब 5 बजे मृत्यु होने का कथन करता है।

7. गजेन्द्रसिंह अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 20.10.15 को फरियादी महेश ने थाना आकर सूचना दी थी कि उसका भाई लोडिंग एम0पी0-07 जी0ए0-3938 पर चालक का कार्य करता था। ग्वालियर से सब्जी भरकर गोहद दिनांक 20.10.15 को सुबह 5 बजे आते समय मोदी फैक्ट्री के गेट के सामने उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने से मृत हो गया। मर्ग सूचना प्र0पी0 2 लेख किए जाने, उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। मर्ग सूचना प्र0पी0 2 के संबंध में फरियादी महेश अ0सा0 2 का कथन तथा मर्ग सूचना लेखक गजेन्द्रसिंह

अ0सा0 6 के द्वारा उसकी संपुष्टि किया जाना घटना दिनांक 20.10.15 को मृतक लक्ष्मण की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के आधार पर मर्ग पंजीबद्ध किए जाने की पुष्टि करता है।

8. सुभाष पाण्डे अ0सा0 8 कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 20.10.15 को मर्ग क्र0 24/15 की जांच प्राप्त हुई थी जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर प्र0पी0 3 का मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन तैयार किया जिस पर फरियादी महेश अ0सा0 2 ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताते हैं। तत्पश्चात् प्र0पी0 4 का नक्शा पंचायतनामा तैयार करना बताते हैं, उस पर भी फरियादी महेश अ0सा0 2 ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् घटनास्थल का मानचित्र प्र0पी0 6 बनाए जाने का कथन करते हैं। महेश अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में नक्शामौका प्र0पी0 6 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं, जबकि बी से बी भाग पर सुभाष पाण्डेय अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से फरियादी महेश अ0सा0 2 द्वारा प्रकरण में उसके भाई लक्ष्मण की मृत्यु के संबंध में आरक्षी केन्द्र को दी गयी सूचना और आरक्षी केन्द्र के गजेन्द्रसिंह अ0सा0 6 एवं सुभाष पाण्डेय अ0सा0 8 द्वारा विभिन्न दस्तावेजों का निष्पादन उक्त सूचना के आधार पर पंजीबद्ध मर्ग की जांच में किए जाने का तथ्य फरियादी के कथनों की संपुष्टि करता है।

9. डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 20.10.15 को थाना मालनपुर के आरक्षक मंगलसिंह द्वारा सीएचसी गोहद में मृतक लक्ष्मण को शव परीक्षण हेतु लाया गया था। शव परीक्षण करने पर उसके बाह्य परीक्षण में शरीर में अकडन आने, सिर में बांयी तरफ 2 गुणा 0.8 गुणा 0.2 सेमी0 फटा घाव मौजूद होने, ठोड़ी पर 2 गुणा 0.3 गुणा 0.2 सेमी0 का फटा घाव मौजूद होने, गाल पर 4 गुणा 3 सेमी0 का छिले का घाव होना, बांयी अग्रभुजा पर 2 गुणा 0.1 सेमी0 का फटा घाव मौजूद होने, सीने व पेट पर 8 गुणा 5 सेमी0 का छिले का घाव मौजूद होने, दाहिनी जांघ पर 15 गुणा 6 सेमी0 का छिले का घाव मौजूद होने, दाहिने पंजे पर 8 गुणा 0.8 गुणा 0.3 सेमी0 का फटे का घाव मौजूद होने, बाएं पंजे पर 7 गुणा 4 सेमी0 का फटा घाव मौजूद होने का कथन करते हैं। आंतरिक परीक्षण में मृतक के मस्तिष्क मंजस्टेड (संकुचित) होने, दायें तरफ दूसरी से छठवीं पसली टूटी होने, दाहिना फेफड़ा फटा होने, आंतों की झिल्ली, मुख, ग्रास नली, यकृत, प्लीहा कंजस्टेड होने, मृतक के पेट व छोटी आंत खाली होने का कथन करते हैं। चिकित्सक के अनुसार मृतक की मृत्यु पसलियों के टूटने से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण शॉक में जाने के फलस्वरूप होने का अभिमत दिया गया है। मृत्यु शव परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की होने का भी अभिमत दिया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 1 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

10. चिकित्सक द्वारा मृतक का शव परीक्षण प्र0पी0 1 की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.10.15 को सुबह 10:30 बजे किए जाने का उल्लेख किया गया है। मृत्यु शव परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर अर्थात् दिनांक 20.10.15 को सुबह 4:30 बजे से 10:30 बजे के मध्य की होने का अभिमत दिया है। फरियादी

महेश अ0सा0 2 ने मृतक की मृत्यु की सूचना उसे सुबह 5 बजे प्राप्त होने का कथन किया है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी उसकी संपुष्टि हो रही है। अन्य साक्षियों में जौनी कुशवाह अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में भिण्ड की ओर से आ रहे डंपर द्वारा मृतक लक्ष्मण को उसके लोडिंग गाडी का रस्सा टाईट करते समय तेजी से टक्कर मारकर 25-30 कदम तक ले जाने के रूप में दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु का कथन किया है। इसी प्रकार से साक्षी रामू ने उनके समक्ष भिण्ड तरफ से आ रहे डंपर एम0पी0-30 एच-0475 के चालक द्वारा लोडिंग गाडी में टक्कर मारकर मृतक लक्ष्मण के बीच में फंस जाने और घिसटकर 20 कदम दूर जाकर गिरने के फलस्वरूप कारित चोटों के कारण मृत्यु होने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से भी दुर्घटना में मृतक लक्ष्मण की मृत्यु के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है। स्वयं चिकित्सक डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 1 को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया कि मृतक मोटरसाईकिल पर जाते समय फिसल जाए अथवा लोडिंग वाहन पर बैठे हो और गिर जाए तो इस प्रकार से चोटें आना संभव है। अस्तु स्वयं अभियोजन की साक्ष्य व अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित है कि दिनांक 20.10.15 को मृतक लक्ष्मण कुशवाह की मृत्यु सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या उक्त सड़क दुर्घटना अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहन चलाकर कारित की गयी ?

// विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष //

11. फरियादी महेश कुशवाह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्हें सुबह 5 बजे मौहल्ले वालों ने खबर दी कि उनके भाई का मोदी फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हो गया है तब वह मौके पर गये। अभिसाक्ष्य में आगे बताते हैं कि लोगो ने बताया था कि उनका भाई लक्ष्मण लोडिंग गाडी खडी करके रोड किनारे खडा था इतने में एक डंपर एम0पी0-30 एच-0475 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उनके भाई को टक्कर मार दी। साक्षी का उसके भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की जानकारी कथित मौहल्ले के लोगों से पता चलने का बताया गया है और प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार करते हैं कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका भाई खत्म हो चुका था। यह भी कथन करते हैं कि जब थाने सूचना देने गए तब उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किस चीज से हुआ और कैसे हुआ है। कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि कथित एक्सीडेंट उनके सामने नहीं हुआ, बल्कि जैसा उन लोगों ने उन्हें बताया उसी के आधार पर कथित डंपर एम0पी0-30 एच 0475 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से टक्कर मारने की बात बताई है। कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि घटना की सूचना उन्हें पडौसी मंजू ने दी थी, मंजू ने खुद उनके भाई लक्ष्मण को घायल अवस्था में देखा था इसलिए बताया था। इस प्रकार से साक्षी कथित दुर्घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। ऐसे में उसके द्वारा अभिकथित डंपर एम0पी0 30 एच- 0475 से दुर्घटना कारित होने का तथ्य संदेहपूर्ण हैं। साथ ही जिन लोगों से सूचना प्राप्त होना बताया है, उनके बारे में स्वयं कथन करता है कि पुलिस

को उन्होंने नहीं बताया कि मंजू ने उसे सूचना दी थी। ऐसे में फरियादी महेश के कथन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है।

12. घटना का अन्य साक्षी जॉनी अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि वह सब्जी भरने लोडिंग गाडी से रामू के साथ गया था। उक्त लोडिंग को मृतक लक्ष्मण चला रहा था। मोदी फैक्ट्री के पास पहुंचे तो लक्ष्मण को ऐसा लगा कि लोडिंग में भरे माल का रस्सा ढीला हो गया है जिसके लिए गाडी रोककर रस्सा टाईट करने उतरा। वह बाथरूम करने बगल में चला गया और रामू भी लोडिंग से उतर गया। मृतक लक्ष्मण रस्सा टाईट करने लोडिंग पर चढ़ा था, इतने में एक डंपर भिण्ड से चलता हुआ आया और उसका चालक तेज गति में चलाकर लाया और लक्ष्मण को टक्कर मार दी। डंपर लक्ष्मण को टक्कर मारकर 25-30 कदम ले गया और ग्वालियर तरफ भाग गया। यह कथन करता है कि उक्त डंपर का नंबर एम0पी0-30 एच-0475 था, जिसके चालक को वे सामने आने पर पहचान लेंगे। साक्षी के समक्ष अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ किन्तु साक्षी बताने में अस्मर्थ रहा कि कथित डंपर को घटना के समय कौन व्यक्ति चला रहा था। घटना का अन्य साक्षी रामू अ0सा0 7 बताया गया है जो जॉनी अ0सा0 3 के कथनों की संपुष्टि करते हुए मोदी फैक्ट्री गेट के पास गाडी का रस्सा ढीला हो जाने के कारण लक्ष्मण द्वारा उक्त लोडिंग पर चढ़कर रस्सा देखने का कथन करते हैं। इतने में भिण्ड तरफ से डंपर एम0पी0-30 एच-0475 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर लोडिंग गाडी में टक्कर मार देने जिससे लक्ष्मण के बीच में फंस जाने और घिसटते हुए 20 कदम दूर जाकर गिरने तथा मौके पर ही मृत्यु हो जाने का कथन किया है। यह साक्षी भी कथित डंपर के चालक को सामने आने पर पहचान लेने का कथन करते हैं, किन्तु न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने पर अन्य व्यक्तियों में से पहचानने में अस्मर्थ हैं।

13. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा कोई डंपर उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित नहीं की गयी, बल्कि मृतक के परिवारजन क्लेम पाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं। इस तर्क के संबंध में रामू अ0सा0 7 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि मृतक लक्ष्मण उनकी बुआ का लडका लगता है और स्वतः यह भी कथन करते हैं कि मौहल्ले में रहता है। जॉनी अ0सा0 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि लक्ष्मण उनके रिश्ते में कोई नहीं लगता, बल्कि उसकी गाडी दो तीन बार किराए से ले गए इसलिए जानते हैं। महेश अ0सा0 2 मृतक का सगा भाई है तथा अन्य साक्षी पुलिस विभाग एवं चिकित्सीय साक्षी हैं। ऐसे में मात्र साक्षी जॉनी अ0सा0 3 स्वतंत्र साक्षी के रूप में अभिलेख पर हैं। किन्तु मात्र इस तर्क के आधार पर अभियोजन का मामला संदिग्ध नहीं हो जाता है। यह अवश्य है कि अभियोजन साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

14. प्रकरण में जॉनी अ0सा0 3 ने घटना रात के 2-2:30 बजे की होना बताई है। उक्त साक्षी उसके समक्ष मृतक लक्ष्मण की दुर्घटना में मृत्यु होने का कथन करते हैं, किन्तु उक्त साक्षी उक्त घटना की सूचना देने स्वयं उसके घर नहीं गया और न हीं थाने पर उसकी सूचना दी। घटनास्थल से थाने की दूरी प्र0पी0 13 की प्राथमिकी के अनुसार लगभग 3 किलोमीटर लेख की गयी है, ऐसे में तीन किलोमीटर की दूरी पर भी साक्षी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। साक्षी कण्डिका 3 में कथन करता है कि घटना के बाद वह तथा रामू घर पर 4:30-5 बजे आ गए थे। यह बताता है कि रामू मृतक लक्ष्मण के घर गया था जबकि वह सीधा अपने घर चला गया था। साक्षी इसी कण्डिका में कथन करता है कि वह बहुत घबरा गया था इसलिए रिपोर्ट करने नहीं गया। रामू ने घर पर फोन लगाया था, किन्तु किसे फोन लगाया था, यह बताने में अस्मर्थ है। यह स्वीकार करता है कि रामू ने सूचना थाने को नहीं दी और यह भी स्वीकार करता है कि घटनास्थल से थाना मालनपुर करीब दो किमी0 है। इस प्रकार से जहां कथित रूप से रामू के पास फोन उपलब्ध था फिर भी उसके द्वारा पुलिस को सूचित न किया जाना साक्षी के नैसर्गिक आचरण का द्योतक नहीं हैं। कण्डिका 4 में यह साक्षी स्वीकार करता है कि अगर कोई व्यक्ति घटना में खत्म हो जाए तो उसे लावारिस हालत में छोड़कर मौके से नहीं जायेंगे। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि घटना के बाद सुबह भी घटनास्थल पर नहीं गए। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की और न हीं कोई बयान लिया था। ऐसे में साक्षी का उक्त आचरण एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के आचरण से भिन्न स्थिति को इंगित कर रहा है।

15. रामू अ0सा0 7, जो कि मृतक के रिश्तेदार भी हैं, प्रतिपरीक्षण में कथन करते हैं कि ग्वालियर से 11-11:30 बजे चले थे और गोहद आने में 2-2:30 घण्टे का समय लगता है। यह भी स्वीकार करते हैं कि घटनास्थल से थाना मालनपुर की दूरी करीब डेढ़ मील है फिर भी उन्होंने थाने पर कोई सूचना नहीं दी। साक्षी मुख्य परीक्षण में बताता है कि उन्होंने मृतक लक्ष्मण के घर फोन लगाकर घटना की जानकारी दी और अपने घर चले गए, वही इसके विपरीत प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि मृतक लक्ष्मण का भाई हरीराम की कुईया पर अपने परिवार के साथ रहता है, किन्तु उन्होंने मृतक लक्ष्मण के भाई महेश को कोई सूचना नहीं दी, स्वतः कथन करते हैं कि उसका नंबर नहीं था और न जानकारी थी। साक्षी कथन करते हैं कि उन्होंने सूचना रामवीर को दी थी, किन्तु रामवीर के सामने घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और न पोस्टमार्टम के समय हास्पिटल में गए। साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि जब घटनास्थल से आए तब मृतक के परिवार का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं था, यह भी स्वीकार करते हैं कि उक्त दो घण्टे में उन्होंने थाने पर कोई सूचना नहीं दी, जिसका कारण बताते हैं कि वे भयभीत हो गए। यह साक्षी इस बात को जानता है कि यदि कोई घटना हो जाए तो उस जगह से गुजरे तो व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि घायल की मदद की जाए, किन्तु इस साक्षी के द्वारा घटनास्थल पर करीब दो घण्टे रुकने के बावजूद पास ही स्थित थाने पर कोई सूचना

नहीं दी और न ही पुलिस के पहुंचने पर उपस्थित हुआ। इस प्रकार से साक्षी का कथन नैसर्गिक एवं सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के आचरण के समान न होकर संदिग्ध दर्शित हो रहा है।

16. साक्षी जॉनी अ0सा0 3 एवं रामू अ0सा0 7 दोनों ही साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि वे मृतक लक्ष्मण के क्लेम (दुर्घटना क्षतिपूर्ति) प्रकरण में साक्षी हैं। इस प्रकार से उक्त साक्षियों के कथित डंफर के संबंध में नंबर बताए जाने का कथन उनके अभिकथित घटनास्थल पर उपस्थित होने के कथन के प्रति संदेहपूर्ण आचरण होने से विश्वास योग्य नहीं हैं। यहां उल्लेखनीय हैं कि महेश कुशवाह अ0सा0 2 जो सूचना कर्ता है, वह अपने मुख्य परीक्षण में बताता है कि लोगों ने दुर्घटना की सूचना दी थी। साक्षी कण्डिका 3 में कथन करता है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो रामू और जॉनी नाम के व्यक्ति नहीं मिले। यह भी स्वीकार करता है कि रामू को मालूम था कि वह हरीराम की कुईया पर चक्की लगाकर निवास करता है, यह भी स्वीकार करता है कि हरीराम की कुईया से घटना स्थल की दूरी करीब एक किमी0 होगी। यह भी स्वीकार करते हैं जॉनी और रामू ने उसे दुर्घटना की सूचना नहीं दी बल्कि दूसरे से सूचना पहुंचाई थी। कण्डिका 4 में कथन करते हैं कि उनके पड़ोसी मंजू ने घटना की सूचना दी थी। इस प्रकार से घटना के अभिकथित चक्षुदर्शी जॉनी अ0सा0 3 एवं रामू अ0सा0 7 का कथन फरियादी महेश अ0सा0 2 के कथनों की संपुष्टि नहीं करता है। साथ ही रामू अ0सा0 7 के द्वारा घटनास्थल पर कथित दो घण्टे रुकने पर भी मात्र एक किमी0 दूर स्थित मृतक के भाई के घर सूचना न दिया जाना अभियोजन के मामले में उनकी घटनास्थल पर उपस्थिति के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

17. सुभाष पाण्डे अ0सा0 8 जो मर्ग जांचकर्ता है, यह कथन करते हैं कि घटनास्थल पर उन्होंने मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन प्र0पी0 3 बनाया और नक्शा पंचायतनामा लाश प्र0पी0 4 तैयार किया था। कण्डिका 2 के अंत में स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 3 व 4 पर रामू व जॉनी के हस्ताक्षर नहीं हैं। स्वयं महेश अ0सा0 2 भी रामू और जॉनी नाम के व्यक्ति घटनास्थल पर न मिलने का कथन करते हैं। प्र0पी0 2 के मर्ग सूचना पर न तो रामू और जॉनी के द्वारा जानकारी प्राप्त होने का उल्लेख है और न ही कथित डंफर एम0पी0-30 एच-0475 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख किया गया है। रमेशसिंह अ0सा0 5 अनुसंधानकर्ता हैं, जो कि दिनांक 02.11.15 को अभियुक्त के समर्पित होने पर उसको गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 8 बनाए जाने तथा अभियुक्त के आधिपत्य से जब्ती कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 9 बनाए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से कथित डंफर घटना दिनांक को घटनास्थल से जब्त भी नहीं हुआ है। प्र0पी0 11 के नुकसानी पंचनामा के अनुसार कथित लोडिंग में चालक की साईड में खिडकी के पास तथा पीछे का हिस्सा टक्कर लगने से क्षतिग्रस्त हो जाने का उल्लेख किया गया है। रामकरन अ0सा0 4 वाहन मैकेनिकल जांचकर्ता हैं, जो डंफर एम0पी0-30 एच 0475 का मैकेनिकल जांच करने पर क्लीनर

साईड का इण्डीकेटर खराब होने और क्लीनर साईड में बंपर के उपर खरोंच होने का कथन करते हैं। यदि प्र0पी0 6 के नक्शामौका को देखा जाए तो उसके अनुसार कथित लोडिंग ग्वालियर से भिण्ड की ओर जा रही थी जो बाएं तरफ खड़ी थी और जो डंपर भिण्ड तरफ से आना बताया है, उसके चालक द्वारा यदि लोडिंग के चालक तरफ के गेट में टक्कर मारी जा तो कथित डंपर पर क्षति चालक की ओर के हिस्से पर आना संभव थी, न कि क्लीनर के हिस्से की ओर। इस प्रकार से उक्त डंपर के घटना में संलिप्त होने के संबंध में संदिग्ध आधार उत्पन्न होता है।

18. प्रकरण में जहां अभिकथित डंपर एमपी-30 एच 0475 के दुर्घटना में लिप्त होने के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य में विश्वसनीय आधार प्रकट नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उक्त डंपर के अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक व सुसंगत समय पर चलाए जाने संबंध में अभियोजन साक्षीगण में से कोई भी कथन करने में अस्मर्थ रहा है। यदि तर्क के लिए कथित डंपर से दुर्घटना कारित होना मान भी ली जाए तो भी घटना के समय उक्त डंपर को कौन चला रहा था, इस संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त डंपर के वाहन स्वामी अजय पाल अ0सा0 9 के रूप में प्रस्तुत किए गए। उक्त साक्षी यह बताते हैं कि यद्यपि एम0पी0 30 एच 0475 के वे पंजीकृत स्वामी हैं, किन्तु उक्त डंपर के अलावा भी कई डंपर उनके पास हैं। उक्त वाहन को थाना मालनपुर द्वारा गाड़ी पर कागज न होने के कारण पकड़ लिया था, जिसके संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए थे। प्र0पी0 8 के गिर0 पत्रक, प्र0पी0 9 के जब्ती पत्रक तथा प्र0पी0 10 के प्रमाणीकरण पर अपने बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं, किन्तु कथित डंपर को घटना दिनांक को कौन चला रहा था, इस संबंध में मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं करते हैं। साक्षी को अभियोजन पक्ष ने पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जिनमें साक्षी ने अभियुक्त को न पहचानना बताया और इस तथ्य से इंकार किया कि दिनांक 20.10.15 को उक्त डंपर से तेजी व लापरवाही से चलाकर अभियुक्त ने दुर्घटना कारित की थी। इस प्रकार से इस साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्त के द्वारा अभिकथित घटना दिनांक को कथित डंपर एम0पी0 30 एच 0475 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

19. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन

दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषिता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

20. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 20.10.15 को रात्रि 3:30 बजे एम0पी0 आयरन मोदी फैक्ट्री के सामने नेशनल हाईवे क्र0 92 के किनारे मालनपुर जिला भिण्ड पर उतावले व उपेक्षा से वाहन डंफर क्र0 एम0पी0 30 एच-0475 को चलाकर लक्ष्मण कुशवाह में टक्कर मार कर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो कि आपराधिक मानव बध की कोटि में नहीं आती है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 304 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

22. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एम0पी0-30 एच 0475 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

23. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि हो, तो धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश